

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2020-21/18145

दिनांक : 12.1.2021

अतिआवश्यक

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिलें।

विषय :- दिनांक 16.01.2021 से 31.01.2021 तक निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले लक्षित समस्त शिक्षकों द्वारा मॉड्यूल संख्या 1 से 18 पूर्ण करवाने बाबत।

संदर्भ :- एनसीईआरटी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 1 से 18 मॉड्यूल को प्रशिक्षण से शेष रहे शिक्षकों हेतु पुनः उपलब्ध करवाए जाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निष्ठा प्रशिक्षण की जिले द्वारा प्राप्त नवीनतम प्रगति की समीक्षा उपरान्त लेख है कि लक्षित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सभी मॉड्यूल (1 से 15) पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 16.01.2021 से 31.01.2021 तक समस्त 18 मॉड्यूल पुनः लाइव किए जा रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी नवनियुक्त शिक्षक तथा गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले शिक्षक/संस्थाप्रधान जिन्हें मानदेय नहीं दिया गया, उन समस्त शिक्षक/संस्थाप्रधान को लक्षित शिक्षकों (PAB में स्वीकृत संख्या में) में सम्मिलित करते हुए समस्त 1 से 18 मॉड्यूल दिनांक 16.01.2021 से 31.01.2021 की समयावधि में आवश्यक रूप से पूर्ण करवाए तथा जिन शिक्षकों द्वारा गत 3 माह में निष्ठा प्रशिक्षण के जिन मॉड्यूलों को पूर्ण नहीं किए एवं सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए हैं, उक्त मॉड्यूल को उक्त समयावधि में पूर्ण करवाते हुए जिले की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। जिलों को प्रशिक्षण की उपलब्धि पूर्ण करवाने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। लक्षित समस्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा समस्त 18 मॉड्यूल पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में आपके स्तर पर शिथिलता मानी जावेगी एवं किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी होगी।

प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त मॉड्यूलवार प्रशिक्षण प्राप्ति की सूचना दिनांक 05.02.2021 तक प्रेषित करें। जिन शिक्षकों द्वारा पुनः मॉड्यूल उपलब्ध कराने के पश्चात् भी प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया जाएगा। उनके विरुद्ध आपके स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए परिषद को शिक्षकों के नाम व विवरण सहित सूचित करें।

www.rajteachers.com

(डॉ० भँवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2020-21/18145

दिनांक : 12.1.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, बीकानेर।
3. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 16.01.2021 से 31.01.2021 की समयावधि में समस्त 18 मॉड्यूल हिन्दी एवं अंग्रेजी में दीक्षा पोर्टल पर लाइव करवाने का श्रम कराए।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त।
5. कार्यालय प्रति।

अति० राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम